GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 216
TO BE ANSWERED ON 05th AUGUST, 2022

ANTI-DUMPING DUTY ON IMPORT OF POLYESTER SPUN YARN

*216 . SHRI SANJEEV ARORA:

Will the Minister of **COMMERCE &INDUSTRY** be pleased to state:

(a) whether Government is planning to impose anti-dumping duty on import of polyester spun yarn under Free Trade Agreement (FTA); and

(b) if not, whether Government is planning to make the raw material duty-free, enabling local industry to survive?

ANSWER

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) & (b): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 216 FOR ANSWER ON 05th AUGUST, 2022 REGARDING"ANTI-DUMPING DUTY ON IMPORT OF POLYESTER SPUN YARN".

(a): Anti-dumping duty is not imposed under Free Trade Agreement (FTA) but by the Central Government (Department of Revenue, Ministry of Finance) under the Customs Tariff Act, 1975 on the recommendation of the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) in the Department of Commerce. The DGTR is a quasi-judicial authority that carries out anti-dumping investigation in terms of the rules & procedures laid down in the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995; Customs Tariff Act, 1975 and Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 and makes its recommendations to the Ministry of Finance. As on date, no petition from the domestic industry is pending in DGTR to carry out an anti-dumping investigation in respect of the alleged dumped imports of polyester spun yarn.

(b): The principle raw material, namely, para-xylene is already exempted from customs duty. Further, certain other raw materials attract concessional customs duty rate of 2.5%/5%.

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *216

दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पॉलियस्टर से बुने कच्चे धागे के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क

***216. श्री संजीव अरोड़ा :**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के तहत पॉलियस्टर के बुने कच्चे धागे के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की योजना बना रही है;और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कच्चे माल को शुल्क–मुक्त करने की योजना बना रही है ताकि स्थानीय उद्योग बचे रहे सकें ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>"पॉलियस्टर से बुने कच्चे धागे के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क" के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क): पाटन रोधी शुल्क मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के तहत नहीं बल्कि केंद्र सरकार (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय) द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत वाणिज्य विभाग में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश पर अधिरोपित किया जाता है। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम 1995; सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और प्रशुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर करार में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के संदर्भ में पाटन रोधी जांच करता है और वित्त मंत्रालय को इसकी सिफारिशें करता है। आज की तारीख में पॉलिएस्टर स्पन यार्न के कथित पाटन किए गए आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच करने के लिए डीजीटीआर में घरेलू उद्योग की कोई याचिका लंबित नहीं है।

(ख): मूल कच्चे माल, अर्थात्, पैरा-ज़ाइलीन को पहले ही सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इसके अलावा, कुछ अन्य कच्चे माल पर 2.5%/5% की रियायती सीमा शुल्क दर लागू होती है।

****

SHRI SANJEEV ARORA: Sir, in the reply, it is mentioned that there is no petition pending from industry. There was a petition from industry given in February of 2020, which was rejected by the Finance Ministry in 2022. My question to the hon. Minister is: Can that be reconsidered with a request from the industry or will they have to submit a new petition, which will take another two years?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हमारे पास लगभग आठ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से पेटिशंस थीं, जिन्हें 28 और इंडस्ट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, जिनमें एन.आई.टी.एम.ए., एस.आई.एम.ए. और इंजन स्पिनर्स असोसिएशन भी थे। डीजीटीआर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को अपनी रिकमेंडेशंस भेजीं। Those recommendations were not accepted. अगर आप दोबारा पेटिशन फाइल करेंगे, तो डीजीटीआर एक बार फिर से उसको कंसीडर कर सकता है।

श्री उपसभापति : सेकंड सप्लिमेंटरी।

SHRI SANJEEV ARORA: Sir, the second reply given was that the raw material for production of polyester spun yarn is not para-xylene, but the principle raw material is polyester staple fibre, which attracts full duty. So, my question is: Can the Government provide a level-playing field by removing duty on import of polyester staple fibre as the industry is suffering?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : सर, पोलिएस्टर स्पन फाइबर, जिसकी माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, उस पर 5 प्रतिशत की ड्यूटी है। इसके अलावा, और भी रॉ मैटीरियल्स हैं, जिन पर 2.5 परसेंट से 5 परसेंट की ड्यूटी है। जो पैराग्ज़िलीन है, उस पर ड्यूटी का एग्ज़ेम्प्शन है।

माननीय सदस्य ने इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराने के संबंध में जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि डीजीटीआर का उद्देश्य ही यही है कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। इसके लिए अगर हमारे पास कभी भी कोई पेटिशन आती है, जिसमें लोकल इंडस्ट्री कहती है कि हमारी इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है या किसी भी प्रकार से डंपिग हो रही है, तो उन केसेज़ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर डंपिग की कोई ऐसी संभावना नज़र आती है, तो हम अपनी रिकमेंडेशंस भी भेजते हैं। हमारी कोशिश यही है कि अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी नज़र आती है, तो उस पर हम एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाएँ। लेकिन, आप फिलहाल जिस फ़ाइबर की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं हाउस को जरूर इन्फ़ॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो इसे रॉ मैटीरियल के रूप में यूज़ कर रही है, अभी उसका 75 परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है। यहाँ तक कि डिमांड और सप्लाई की दृष्टि से उसके 81 परसेंट ऑपरेशंस हैं, इसलिए अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है।

श्री उपसभापति : माननीय दिनेशचंद्र अनावाडीया जी।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पोलिएस्टर के बुने कच्चे धागे की देश में जो माँग है, उसमें से हमारे देश में कितना प्रोडक्शन होता है और कितना आयात करना पड़ता है?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : सर, यह जो पोलिएस्टर स्पन फ़ाइबर है, वह लगभग हमारा जो टोटल.... I am sorry. आपने फ़ाइबर के बारे में पूछा है या यार्न के बारे में पूछा है?

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : मैडम, मैंने यार्न के बारे में पूछा है।

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : सर, हमारा जो टोटल यार्न प्रोडक्शन है, उसमें 2.3 परसेंट इसका प्रोडक्शन होता है और हम एग्ज़ैक्टली कितना इम्पोर्ट करते हैं और कितना लोकली प्रोड्यूस करते हैं, इसके एग्ज़ैक्ट आँकड़े मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगी।

श्री उपसभापति : माननीय जया बच्चन जी।

श्रीमती जया बच्चन : सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, why has the Government promoted the use of polyester for 'हर घर तिरंगा' scheme? Will this not affect our Khadi production?

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल : सर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 217.